International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.3 Jan – Feb 2023

महिला सशक्तिकरण के दौर में महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका

स्वेता चौधरी
शोधार्थी- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Corresponding Author- **स्वेता चौधरी**
DOI- 10.5281/zenodo.7608716

सारांश
महिला सशक्तिकरण के तमाम परम्पराओं के बावजूद देश की कल श्रमशक्ति में महिलाओं की भागेदारी कम हो रही है। वल्र्ड बैंक ने अपनी इण्डिया डवेलमेंट रिपोर्ट में कहा कि वर्क कोर्स में महिलाओं की भागेदारी के मामले में भारत काफी पीछे है महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते है ंतो सिर्फ उनकी सुरक्षा सामाजिक अधिकारजैसे मुद्दांे तक बात सीमित रह जाती है लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है उनका राजनीतिक सशक्तिकरण होना अनिवार्यता है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागेदारी वर्तमान स्थिति समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी ही स्थिति नहीं है जैसी बीस साल पहले थी। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम आदमियों की बल्कि पुरूषों का भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं राजनीति पुरूषों की शारीरिक शक्ति और इसमें उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है इसलिए राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत मंे बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है।

शब्द कुंजी : राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, भारत में महिला मतदाताओं की स्थिति सक्रिय राजनीति में महिलाओं की स्थिति पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक निर्णयन में पितृसत्ता का प्रभाव और राजनीति के भविष्य में महिलाओं की भागीदारी।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका-

भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है रानी लक्ष्मीबाई मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरूणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, इन्दिरा गाँधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषुमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुआ चैधरी, सोनिया गाँधी ने सक्रियता दिखाई । इन्दिरा गाँधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश के संविधान में महिलाओं को न केवल पुरूषों के समान वोट देने के अधिकार दिए गए बल्कि पंचायत से सम्भव तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के चुनाव में भी भाग लिया।

इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधियों मंचों में कम से कम एक तिहारी सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी की संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरूषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी सेे बदल रहा है महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ।

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी

जहाँ तक भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कि बात है तो स्थिति बहुत

निराशाजनक है संसद में महिलाओं की स्थिति को केवल इन्दिरा गाँधी ने 16 साल तक प्रधानमंत्री कार्य को बेहतर नहीं माना जा सकता, इन्दिरा गाँधी, भण्डार नायक, चन्द्रिका कुमार तुंगा, बेनजीर भूट्टो, खालिदा जिया आदि महिलाएँ इन देशों की राजनीति में बढ़ती महिला भागीदारी का परिणाम नही थी, लेकिन वे वशांनुगत संस्कारों के राजनीति राजतंत्रीय संस्कारों के कारण अपने पूर्वजों की प्रसिद्धि लाभान्वित हो रही थी। भारतीय संसदीय राजनीति में न केवल महिलाओं की भागेदारी सीमित रही है बल्कि कम संख्या वाली महिलाओं ने भी कम सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक पृष्ठभूमि में संसद और विधान सभाओं में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों के आरक्षण का विकल्प चुना गया है जो भारतीय राजनीति में एक क्रान्तिकारी मोड़ है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा कि यदि आप मुझे 500 पुरूष दे तो में राष्ट्र को एक वर्ष में बदल दूंगा परन्तु यदि मुझे 50 महिलाएँ दे तो मैं कुछ ही महीनों में देश बदल दूंगा।

पिछले 57 वर्षो में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के परिणामस्वरूप पिछले 57 वर्षो में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और महिलाओं में बढ़ती चेतना के परिणामस्वरूप प्रयास किए गए हैं। संविधान के 73वे तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लगभग 15 लाख महिलाओ को ग्राम पंचायत तथा शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनकर सशक्तिकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुई हैं विश्व के सबसे विशाल लोकतान्त्रिक देश में महिलाओं की सहभागिता यह महत्वपूर्ण बात है महिला और पुरूष समाज के दो पहिए हैं समाज और देश के सुचारू संचालन के लिए महिलाएँ अच्छी मतदाता और सभी क्षेत्रों में दक्ष कुशल अधिकारी बन सकती है तो एक अच्छी प्रत्याशी प्रतिनिधि और नेतृत्वकारी भी बन सकती है आज जिस प्रकार से महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है उसी तरह राजनीति क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना पड़ेगा।

महिला राजनीतिक सहभगिता-

राजनीतिक सहभगिता किसी भी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है राजनीतिक भागीदारी सहभगिता को मतदान के लिए अनिवार्य है राजनीतिक भागीदारी सहभगिता के यर्थाथ को महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में देखने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रमुख है सक्रिय सहभगिताव्यक्ति प्रत्यक्ष रूप तात्पर्य यह है कि इनमें-से राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेता है राजनीतिक दलों की बैठकों में सम्मिलित होना, चुनाव लड़ना, चुनाव प्रचार करना तथा राजनीतिक दल विशेष ही सक्रिय राजनीतिक सहभगिता है। राजनीति मे महिलाओं की भागीदारी के प्रश्न ने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में सबका ध्यान आकृष्ट किया और आज यह विश्व स्तर पर अनुसंधान का प्रमुख विषय बन गया है भारत में महिलाओं की राजनीतिक में भूमिका का प्रश्न स्वाधीनता आन्दोलन में उनकी सक्रियता के सन्दर्भ मे उठाया गया है। सन् 1920-21 के असहयोग आन्दोलन मे महिलाओं में जागरूकता बढ़ायी और महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1919 में मताधिकार के प्रश्न पद चर्चा करने लिए साउथ बोरा कमिशन भारत आया तब श्रीमती एनी बेसेन्ट के नेतृत्व में महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल महिला मताधिकार के पक्ष में दवाब बनाने के लिए आयोग में मिला। प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं ने प्रस्ताव पारित कर थोड़े समय के अन्दर ही महिलाओं को मत देने अधिकार प्रदान कर दिया मद्रास प्रथम राज्य था जिसने सन् 1921 मंे 1926 में ब्रिटिश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया और भारतीय महिलाओं को व्यवस्थापिका में बैठने का अधिकार प्रदान किया डाॅ0 मधु लक्ष्मी रेड्डी प्रथम भारतीय महिला थी जो प्रान्तीय व्यवस्थापिका की सदस्यता मनोनीत की गई।

राजनीतिक निर्णयन में पितृसत्ता का प्रभाव-

भारतीय महिलाओं द्वारा इतनी उच्च उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद भी महिलाओं का शासन एवं नीतिया में बहुत कम योगदान रहता है निर्माण प्रक्रि-महिलाओं को राजनीतिक फैसलों से दूर रखा जाता है। उनके विचार जानने और यहाँ तक कि उनकी सहमति लेने का भी प्रयासनहीं किया जाता

महिलाओं के पद पर आसीन होने के बावजूद उनके राजनीतिक फैसलों के पीछे उनके पिता पुत्र या पति की ब़ड़ी भूमिका रहती है महिलाओं को स्वतंत्रता निर्णय लेने का कोई अधिकार नही है पूरी तरह से महिलाएँ अपने परिवार वालों पर निर्भर रहती है। इनके लिए महिला और महिला प्रतिनिधिओं स्वयं जागरूक होेने और उन्हें दूसरों के द्वारा जागरूक करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि सरकार और समाज ने काफी हद तक महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी की दिशा में ठोस कदम उठाये और वे यह भी साबित कर रहे कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण ने राजनीति को एक नई ऊँचाई प्रदान की है। राजनीति ने नए आयाम बनाये जा रहे हैं। जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है भले ही पंचायती स्तर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों ने जीता और उन्नति के नए द्वारा खोले। अतः भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना तो आत्मविश्वास उनकी सफलता को निश्चित करने पर लोकतंत्र और भी मजबूत बन सकता है पंचायती राज संस्थाओं में हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर निश्चित रूप मंेे इनकी ग्राम विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. प्रताप, उमेश, गर्ग एवं राजेश कुमार महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम, पृ0-52. सविता महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास, पृ0-86

3. योजना अक्टूबर 2018

4. महिला सशक्तिकरण .के .रमा शर्मा एवं एम-मिश्रा

5. भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियोंडाॅ-0 महावीर प्रसाद मोदी, डाॅ0 श्रीमती सरोज मोदी

6. भारतीय राजनीति के नये आयामश्रीमती राजेश - जैन, डालचन्द जैन

7. शर्मा, प्रज्ञा)2011) महिला विकास और सशक्तिकरण ‘‘जयपुर आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

8. अंसारी एम) .ए.2010) महिला और मानवाधिकार जयपुर ज्योति प्रकाशन

9. मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न सुधा राजी श्रीवास्तव एवं रागिनी श्रीवास्तव

10. मानव अधिकार के विभिन्न आयामभावना वर्मा - एवं नरेन्द्र शुक्ल